संख्या:-5/2023/469/43-1-2023

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **25** मई, 2023

विषय- **"उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011" से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण किए जाने हेतु राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) उ०प्र०, प्रयागराज के निरीक्षकों (मण्डल स्तर पर तैनात) को नोडल अधिकारी नामित किया जाना।**

महोदय,

जैसा की आप विदित हैं कि जन सामान्य को समयबद्ध रूप से सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04 मार्च 2011 से **"उ०प्र० जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011"** प्रख्यापित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत विभागों द्वारा समयबद्ध रूप से जन सेवाएँ देने के लिए पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किए जाने का प्रविधान है। अधिनियम में द्वितीय अपीलीय अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार भी दिया गया है। शास्ति की धनराशि रु० 500 से रु० 5000 तक हो सकती है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सचिवालय स्तर पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग गठित है, जिसके अन्तर्गत एक अनुभाग सृजित है। वर्तमान में लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई भी निदेशालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा मण्डल/जिला स्तर पर भी कोई कार्यालय स्थापित नहीं है जिस कारण अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही का समुचित ढंग से अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है। अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक 46 विभागों की कुल 409 सेवाएं तथा समस्त विभागों की 10 कॉमन सेवाएं अर्थात कुल 419 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है।

2- प्रशासनिक सुधार विभाग के नियन्त्रणाधीन जनपद प्रयागराज में राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय अवस्थित है। निरीक्षणालय के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक राजस्व मण्डल में एक-एक निरीक्षक तैनात हैं जिनकी सहायता के लिए एक शिविर सहायक (कनिष्ठ सहायक) तथा एक अनुसेवक भी तैनात रहते हैं। निरीक्षक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय का मुख्य कार्य राजस्व मण्डल में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन शासकीय कार्यालयों/न्यायालयों में अनुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण करना है। संबंधित मण्ड्लायुक्त से मासिक भ्रमण कार्यक्रमों को अनुमोदित कराने के पश्चात् निरीक्षण कार्य करते हैं। मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के नियन्त्रक अधिकारी हैं। इनके प्रमुख दायित्वों में मण्डलों में तैनात कार्यालय निरीक्षकों एवं अधीनस्थ कार्मिकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना व मार्गदर्शन करना है।

4- वर्तमान में लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई भी अधीनस्थ कार्यालय स्थापित न होने के कारण प्रशासनिक सुधार विभाग के नियन्त्रणाधीन जनपद प्रयागराज में स्थित राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उत्तर प्रदेश को **"उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011"** के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व सौंपे जाने तथा मण्डल स्तर पर तैनात निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय को मण्डल स्तर पर जनहित गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों के अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के समय **"उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011"** के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है:-

- विभागों के नियंत्रणाधीन संगठनों में जनहित गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किए जाने का अनुश्रवण किया जाना।
- अधिनियम के अन्तर्गत विभागों की अधिक से अधिक सेवाओं को अधिसूचित कराने हेतु अनुश्रवण किया जाना।
- विभागों द्वारा अधिसूचित सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना।
- राजस्व मण्डल के स्तर पर तैनात राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय के निरीक्षकों को जनहित गारन्टी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाया जाना।
- विभागों के राज्य/मण्डल/जिला स्तर पर स्थित कार्यालयों के कार्मिकों को जनहित गारन्टी अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों से प्रशिक्षित कराया जाना।
- अधिनियम के अन्तर्गत विभागों द्वारा अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का अनुश्रवण किया जाना।
- विभागों द्वारा अधिसूचित सेवाओं की जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।

5- राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय के मुख्य निरीक्षक/उप मुख्य निरीक्षक तथा मण्डल स्तर पर तैनात निरीक्षकों द्वारा उक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी-

- मण्डल स्तर पर **"उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011"** से सम्बन्धित बिन्दुओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण की कार्यवाही प्रत्येक माह संबंधित मण्डलायुक्त के अनुमोदन के पश्चात् मण्डल में तैनात/कार्यरत निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय द्वारा की जाएगी।
- समीक्षा/अनुश्रवण के पश्चात् पायी गयी वस्तुस्थिति से निरीक्षकों द्वारा संबंधित मण्डलायुक्त को अवगत कराते हुए मासिक रिपोर्ट (निर्धारित प्रारूप पर) मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में उपलब्ध कराई जाएगी।

- मुख्य निरीक्षक/उप मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा पूरे प्रदेश की संकलित रिपोर्ट को (निर्धारित प्रारूप पर) प्रत्येक माह की पहली तारीख को लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग को भी प्रेषित की जाएगी।

अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011"** से सम्बन्धित कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु मण्डल स्तर पर तैनात निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय एवं प्रदेश स्तर पर तैनात मुख्य निरीक्षक/उप मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-5/2023/469(I)/43-1-2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मा० महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
8- मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश में उल्लिलखित बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(डा० शील अस्थाना)
संयुक्त निदेशक कम उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

"उ०प्र० जनहित गारंटी अधिनियम, 2011" के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के निस्तारण आदि के सम्बन्ध में मासिक समीक्षा हेतु प्रारूप

क्रमांक	कार्यालय का नाम	विभाग का नाम	अधिसूचित सेवा का नाम	निस्तारण हेतु लंबित गत माह के अवशेष प्रार्थना पत्र	माह में प्राप्त प्रार्थनापत्र	माह में निस्तारित किए गए प्रार्थनापत्र	मासांत में निस्तारण हेतु लंबित रहे प्रार्थना पत्र	निर्धारित समय के भीतर निस्तारित प्रार्थना पत्र	निर्धारित समय के बाद निस्तारित किए गए प्रार्थना पत्र	अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है।	अधिरोपित जुर्माने की धनराशि का विवरण	यदि जुर्माने की धनराशि वसूल नहीं हो पायी है तो उसके क्या कारण हैं?	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालय प्रभारी।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।